भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1913

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : आत्मा योजना का कार्यान्वयन

1913. श्री नारायण तातू राणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आत्मा योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को और विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि इसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को कोई निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना वर्ष 2005 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में किसानों में नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्तमान में, यह योजना 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 740 जिलों [महाराष्ट्र के सभी 34 जिलों सहित] में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत और किसान-अनुकूल विस्तार पद्धति को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करने और फार्म स्कूल आदि के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करना है।

(ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए आत्मा योजना के तहत विस्तार गतिविधियों के संचालन के लिए धन के आवंटन, रिलीज और उपयोग का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग): आत्मा, कृषोन्नति योजना की एक घटक योजना है। हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रि मंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) ने वर्तमान में कार्यान्वित कृषोन्नति योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें मार्च 2025-26 तक अर्थात अक्टूबर, 2024 के वर्तमान वित्त आयोग चक्र के अंत तक जारी आत्मा योजना भी शामिल है।

(घ): जी हाँ। वित्तीयवर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान आत्मा योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य को आवंटित धनराशि का वर्ष-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: -

क्रमसं.	**वर्ष**	**आवंटित धनराशि (रुपए करोड़ में)**
1.	2021-22	50.00
2.	2022-23	38.00
3.	2023-24	28.87

अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विस्तार सुधार (आत्मा) योजना के अंतर्गत धन के आवंटन, रिलीज और उपयोग का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24		
		आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	20.00	5.00	6.88	13.00	6.50	8.16	8.44	6.33	7.57
2	अरुणाचल प्रदेश	12.00	9.00	12.86	13.00	9.75	9.65	13.77	13.77	9.92
3	असम	20.00	10.00	10.42	19.00	19.00	19.57	19.80	19.80	18.73
4	बिहार	72.00	54.00	55.30	60.00	15.00	40.39	48.81	48.81	42.25
5	छत्तीसगढ	22.00	11.00	8.92	17.50	13.13	13.54	14.53	17.61	14.52
6	गोवा	3.00	1.50	1.14	2.00	1.00	1.55	1.58	1.98	1.56
7	गुजरात	39.00	32.85	27.32	30.00	33.01	27.25	23.65	25.65	29.86
8	हरियाणा	19.00	14.25	11.89	16.00	4.00	11.25	13.87	10.40	10.40
9	हिमाचल प्रदेश	20.00	15.00	12.80	15.50	15.50	13.97	13.13	15.34	16.94
13	जम्मू और कश्मीर	21.50	0.00	0.00	20.58	5.15	0.00	10.00	7.50	7.12
11	झारखंड	30.00	22.50	23.31	28.00	21.00	25.80	21.87	24.37	25.13
12	कर्नाटक	32.00	24.00	14.34	26.00	13.00	20.92	20.37	20.37	20.61
13	केरल	17.72	13.29	10.42	13.77	13.77	16.18	10.90	10.90	11.79
14	मध्य प्रदेश	50.00	30.00	23.06	40.00	30.00	31.51	34.46	34.47	32.05
15	महाराष्ट्र	50.00	25.00	23.78	38.00	28.50	37.49	28.87	32.50	32.08
16	मणिपुर	9.00	6.75	2.25	9.00	2.25	4.50	9.00	4.50	2.79
17	मेघालय	9.00	6.75	9.09	9.00	9.00	7.58	9.00	9.00	9.08
18	मिजोरम	7.00	7.00	3.59	7.00	1.75	5.17	7.00	7.00	7.00
19	नगालैंड	12.70	12.70	6.35	12.51	12.51	10.00	12.70	14.87	15.93
20	ओडिशा	48.00	36.00	38.49	43.00	43.00	52.69	38.15	43.99	40.54
21	पंजाब	25.00	12.50	20.42	16.00	12.00	16.77	13.88	17.35	15.63
22	राजस्थान	32.00	32.00	31.60	23.50	17.63	32.23	17.84	17.83	23.22
23	सिक्किम	3.80	2.85	1.77	3.80	2.85	4.11	4.00	3.00	2.72
24	तमिलनाडु	55.00	27.50	30.69	40.00	30.00	43.09	36.11	42.79	33.61
25	तेलंगाना	18.00	4.50	7.82	13.00	3.25	7.35	9.63	4.82	4.82
26	त्रिपुरा	5.80	2.90	1.65	6.00	3.00	2.80	7.00	7.00	6.23
27	उत्तर प्रदेश	128.00	96.00	91.92	110.00	55.00	37.82	91.53	114.41	129.87
28	उत्तराखंड	20.00	10.00	7.92	15.00	9.63	9.46	12.68	11.53	11.03
29	पश्चिम बंगाल	50.00	25.00	19.90	42.00	42.00	42.00	35.70	41.52	35.70
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.60	1.30	0.76	2.00	1.00	1.34	1.00	1.50	1.58
31	पुदुचेरी	2.00	1.00	1.10	3.00	1.50	1.88	1.50	1.50	2.01
32	दिल्ली	0.88	0.00	0.04	0.80	0.20	0.09	0.20	0.00	0.00
33	लद्दाख	2.70	0.68	0.01	2.00	0.50	0.06	0.50	0.00	0.00
कुल		**859.70**	**552.82**	**517.79**	**709.96**	**475.37**	**573.31**	**591.47**	**632.42**	**622.28**

नोट: कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक वर्ष के दौरान आबंटन एवं रिलीज की तुलना में अधिक व्यय, पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि के कारण है।

*****